प्रेस विज्ञप्ति

15/09/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने जितेंद्र प्रसाद वर्मा और अनिल विलापरम्पिल अब्राहम की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर सहारा समूह के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 44 के तहत अभियोजन शिकायत 06/09/2025 को दर्ज की है। उन्हें अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ मामले में आरोपी बनाया गया है।

यह पता चला है कि सहारा समूह की कई संपत्तियां, जो जनता से एकत्र किए गए जमा से अर्जित की गई थीं, भारी नकद लेनदेन में गुप्त तरीके से निपटान की जा रही थीं। जांच के दौरान, यह स्थापित किया गया है कि अनिल वी. अब्राहम और जितेंद्र प्रसाद वर्मा ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत में ऐसी संपत्तियों के निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे सहारा समूह की संपत्तियों के अलगाव से संबंधित लेनदेन को सुविधाजनक बनाने, समन्वय करने और निष्पादित करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।

सहारा सेबी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्देशों पर, सहारा समूह ने 31.3.2025 तक सहारा सेबी रिफंड खाते में लगभग 16,138 करोड़ रुपये जमा किए हैं। सहारा सेबी खाते में यह राशि ब्याज के संचय के कारण वर्षों में बढ़ी है। इसी में से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सहारा समूह सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को रिफंड करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के तहत केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (सीआरसीएस) को 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। सीआरसीएस जुलाई 2023 से जमाकर्ताओं को रिफंड कर रहा है। 28.02.2025 तक 12,97,111 जमाकर्ताओं को 2,314 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी थी। ईडी ने मार्च 2025 से इस मामले में हस्तक्षेप किया है और सहारा सहकारी समितियों के निवेशकों के संबंध में प्रासंगिक डेटा को प्रभावी ढंग से एकत्र किया है। इस तरह के डेटा का विश्लेषण करने और त्वरित प्रसंस्करण के लिए विभिन्न हितधारकों की बैठकें आयोजित की गईं।परिणामस्वरूप, सहारा समूह ने अपने स्तर पर जमाकर्ताओं के दावों की प्रक्रिया में तेज़ी लाई और अधिकांश लंबित मामलों को निपटा दिया। 28.07.2025 तक 27 लाख से अधिक जमाकर्ताओं के 5,000 करोड़ रुपये के रिफंड का भुगतान किया जा चुका है।साथ ही, जुलाई 2025 तक, सहारा सहकारी समितियों ने सीआरसीएस पोर्टल में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का सत्यापन किया था।

इसके अलावा, सीआरसीएस से प्राप्त आवेदन के आधार पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 12.09.2025 को सहारा समूह द्वारा सहारा-सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) खाते में जमा किए गए धन में से सीआरसीएस को 5,000 करोड़ रुपये के नए वितरण की अनुमति दी। इस राशि का उपयोग सहारा समूह सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के बकाया का भुगतान करने के लिए भी किया जाएगा। ईडी की जांच के निष्कर्षों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सीआरसीएस के अधिक धन जारी करने के दावे का समर्थन किया है। इसके अलावा, निकट भविष्य में सहारा-सेबी खाते में पड़े 19,533 करोड़ रुपये के शेष धन को पात्र जमाकर्ताओं को वापस करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इससे पहले, ईडी ने मेसर्स हमारा इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 और 120बी के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर कई राज्यों में पुलिस द्वारा जांच शुरू की थी। विभिन्न सहारा समूह संस्थाओं के खिलाफ 500 से अधिक प्राथमीकियाँ दर्ज की गई हैं, जिनमें से 300 से अधिक में पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध शामिल हैं, जिसमें जबरन पुन: जमा और परिपक्वता भुगतान से इनकार करके जमाकर्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।ईडी की जाँच में पता चला कि सहारा समूह एक पोंजी स्कीम चला रहा था। जमाकर्ताओं की निगरानी के बिना, एकत्रित धन को अनियमित तरीके से प्रबंधित किया गया था, परिपक्वता राशि का पुनर्भुगतान नहीं किया गया, बल्कि उसे पुनर्निवेशित किया गया और ऐसे गैर-भुगतान को छिपाने के लिए खातों में हेरफेर किया गया। विभिन्न अंतर-समूह लेनदेन दर्शाते हैं कि भारी देनदारियों को बिना किसी व्यावसायिक समझ के एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरित कर दिया गया था। अंत में, भारी देनदारियों को 4 सहकारी समितियों में दर्शाया जा रहा है। वित्तीय अक्षमता के बावजूद, समूह ने नए जमा एकत्र करना जारी रखा। जमाकर्ताओं की परिपक्व राशि के निरंतर गैर-भुगतान के कारण, बकाया देनदारी, जिसमें ब्याज का एक बड़ा घटक है, वर्षों से जमाकर्ताओं से मूल रूप से एकत्र की गई मूल राशि की तुलना में असमान रूप से बढ़ गई है। इसके अलावा, यह पता चला है कि बेनामी संपत्ति बनाने, ऋण बढ़ाने और व्यक्तिगत उपयोग के लिए पर्याप्त जमा राशि निकाल ली गई, जिससे जमाकर्ताओं को उनके वैध बकाया से वंचित कर दिया गया।

इस मामले में सहारा समूह की बेनामी भूमि और अन्य व्यक्तियों की संपत्ति को कुर्क करते हुए चार अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अनिल वैलापरम्पिल अब्राहम और जितेंद्र प्रसाद वर्मा न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।

सहारा समूह के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की संलिप्तता और भारत तथा विदेशों में धन शोधन के अपराध से जुड़े लेनदेन के संबंध में आगे की जांच जारी है।